संख्या-470/2023/1517/22-2-2023-17(397)/2022

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2023*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय राम पुत्र श्री रामनिवास राम, निवासी जनपद-मऊ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-14368/ प्रोबे0-5-दया0 बैठक-31-03-2023 दिनांक 02-05-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय राम पुत्र श्री रामनिवास राम, जो ग्राम-मालव, थाना-मुहम्मदाबाद, जनपद-मऊ का निवासी है। बन्दी संजय राम की बुआ से अवधेश के अवैध सम्बन्ध होने के कारण विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 28.05.2004 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रात में पेट्रोल डालकर आग लगाकर 03 लोगों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-206/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302, 326, 436 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-03, मऊ के आदेश दिनांक 28.10.2009 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.2010 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29.12.2022 तक 18 वर्ष 07 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 11 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, मऊ द्वारा बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 40 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (03 हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय राम (बन्दी संख्या-319/2019) पुत्र श्री रामनिवास राम, निवासी जनपद-मऊ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-470/2023/1517(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (एस) (क्रि0) नं0 (एस) 224/2019 संजय बनाम यूनियन आफ इण्डिया के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।